छत्तीसगढ़ की पर्यावरण नीति

आवास एवं पर्यावरण विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ शासन की पर्यावरण नीति

१.० भूमिका एवं उद्देश्य :-

छत्तीसगढ की पर्यावरण नीति का मूल सिद्धांत, राज्य के सामाजिक व आर्थिक विकास के लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध खनिज, वन,एवं अन्य नैसर्गिक संसाधनों को स्वपोषित निरन्तरता के साथ राज्य में उपयोग करना है। स्वपोषित एवं शाश्वत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों को बराबर महत्व प्रदान करता है। छत्तीसगढ में, निरंतर एवं शाश्वत विकास, निम्न कारणों से और भी अधिक सुसंगत है :–

- प्रदेश की ८० % जनता कृषि पर आधारित है।
- प्रदेश का ४४ % भूभाग वनाच्छादित है।
- प्रदेश का औद्योगिक आधार यहां की खनिज संपदा है।
- प्रदेश की आबादी का एक बहुत बडा भाग अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लोगों का है।
- प्रदेश के स्वपोषित एवं शाश्वत विकास हेतु शासन द्वारा

निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यावरण नीति निर्धारित की गई है -

- सामाजिक समता पर आधारित निरंतर एवं शास्वत विकास को सुनिश्चित करना।
- पर्यावरण आधारित कार्यक्रमों में वृद्धि करना।
- नागरिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करना।

२.० रणनीति

प्रदेश की पर्यावरण नीति सामाजिक एवं आर्थिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर विकसित की गई तथा पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए विकास प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से निर्धारित की गई है। इस नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नानुसार तीन प्रमुख रणनीति का निर्धारण किया गया है :-

- पर्यावरण आधारित संसाधन नियोजन।
- सहभागी प्रबंधन एवं बाजार आधारित प्रकिया का निर्धारण।
- जन सहयोग द्वारा सकारात्मक क्रियान्वयन।

२.१ पर्यावरण आधारित संसाधन नियोजन :-

प्रदेश की पर्यावरण नीति प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनों के शाश्वत एवं योजनाबद्ध उपयोग

का मार्ग प्रशस्त करते हुये समन्वित पर्यावरण प्रबंधन को सुनिश्चित करेगी।

२.२ सहभागी प्रबंधन एवं बाजार आधारित प्रकिया :

सक्रिय सहयोगात्मक प्रयासों द्वारा सामाजिक एवं जैविक अवयव के विकास हेतु विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जावेगा। इस पर्यावरण नीति के क्रियावन्यन का उत्तरदायित्व विभिन्न विभागों पर भी होगा। अतः यह नीति अन्य विभागों की नीतियों जैसे जल –संसाधन,वन, सड़क, परिवहन, आवास उद्योग व खनिज नीतियों से भी समन्वित कर लागू की जावेगी। जहां तक संभव हो यह व्यवस्था निर्धारित की जावेगी कि पर्यावरण क्षति की वसूली उसी से की जावे जो इस क्षति के लिये जिम्मेदार है।

२.३ सक्रिय जन सहयोग द्वारा क्रियान्वयन :

दीर्घकालीन पर्यावरण संरक्षण तथा समता आधारित नैसर्गिक संसाधनो के उपयोग हेतु जनचेतना एवं जन भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जन इच्छा शक्ति एवं जन सहभागिता ऐसी पर्यावरण प्रक्रियाएं हैं जिसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। वह ही प्रदूषण निवारण एवं पर्यावरण संरक्षण में कारगार है।

३.१ पर्यावरण आधारित संसाधन नियोजन :

पर्यारण में परिवर्तन व क्षरण कई कारणों से होता है। अतः यह आवश्यक है कि प्रदेश के नैसर्गिक संसाधनों के दोहन एवं संरक्षण हेतु समन्वित योजना विकसित की जाये। इस दिशा में शासन स्तर से निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है –

भू - उपयोग

भूमि /मृदा में हो रहे क्षरण को रोकने हेतु निम्नानुसार प्रयास किये जायेंगे –

- समस्या मूलक क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उनकी पहचान करना । विद्यमान प्रदूषण भार एवं धारक क्षमता के आधार पर क्षेत्र का वर्गीकरण करना ताकि उद्योगों हेतु भूमि चिन्हित की जा सके।
- यथा संभव कृषि भूमि को गैर कृषि कार्य हेतु परिवर्तित न किया जाय जब तक अनिवार्यता न हो।
- पडत भूमि पर कम खर्चीला वानस्पतिक प्रबंधन करना।
- चराई को नियंत्रित करते हुए मृदा क्षय को रोकना।

जल संसाधन प्रबंधन

शासन, जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन हेतु प्रक्रिया विकसित करेगा जिसमें निम्न तथ्यों का समावेश होगा :–

- वेट–लैण्ड का संरक्षण।
- जल की दरों में पर्यावरण मूल्यों का समावेश।

- अपजल के पुर्नचक्रीकरण एवं जल के समुचित उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- सतह के ऊपर एवं भू-गर्भीय जल की गुणवत्ता की समीक्षा तथा उसका समुचित उपयोग
- रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के न्यायोचित उपयोग को प्रोत्साहित करना तथा उनके सीधे जल स्त्रोतों में निस्सारण को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक प्रावधान करना।
- वर्षाजल संरक्षण द्वारा जल प्रबंधन।

कृषि

कृषि के शाश्वत विकास को गति देने हेतु निम्नानुसार प्रयास किये जायेगें।

- शाश्वत संसाधन प्रबंधन के लिये समूह भागीदारी एवं सामूहिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करना।
- फसल चक्रीयकरण तथा जैविक कृषि द्वारा शाश्वत कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
- जैविक खाद्य एवं जैविक कीटनाशक के उपयोग को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना।

उद्योग

औद्योगिकरण के निर्णयों में पर्यावरण संरक्षण को भी समन्वित करने हेतु निम्नानुसार प्रयास किये जायेंगे –

- इंधन दक्ष उपकरणों/मशीनों को प्रोत्साहित करना। प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरण मित्र तकनीकों को बढावा देना।
- बायोमास का प्रयोग कर उर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
- स्वच्छ तकनीकों एवं प्रक्रियाओं को ग्राह्य करने हेतु उद्योगों को प्रोत्साहित करना।
- औद्योगिक अपशिष्टों के उपचारण हेतु संयुक्त तंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
- अनुक्षेत्र मानचित्र तैयार करना जिसमें जिला स्तरीय पर्यावरण स्तर का उल्लेख होगा। यह मानचित्र पर्यावरण सहायक उद्योगों की स्थापना हेतु मार्गदर्शक का कार्य करेगा
- उद्योगों में एक पर्यावरण प्रकोष्ठ स्थापित करना जो विभिन्न शासकीय ऐजेंसियो से समन्वय स्थापित करेगा।
- राखड के उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ दंडात्मक व्यवस्थाओं को स्थापित करना।
- प्रदूषणयुक्त उद्योगों द्वारा जनित अपशिष्ट के

पुर्नचक्रीकरण, एवं पुनः उपयोग के लक्ष्य को निर्धारित करना तथा इसे मानक के रूप में उपयोग करना।

उत्खनन

शासन यह सुनिश्चित करेगा कि खनिजों की खोज एवं उत्खनन प्रक्रिया में पर्यावरण नीति का पालन हो। इस हेतु निम्नानुसार प्रावधान किये जायेंगे –

- पर्यावरण संरक्षण मानक के अनुसार उत्खनित क्षेत्र के पुर्नवास को सुनिश्चित करना।
- पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में उत्खनन परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव के संज्ञान को सुनिश्चित करना।
- बड़े उत्खनन क्षेत्रों की सतत समीक्षा सुनिश्चित करना
- खनिजों के स्थल पर ही शुद्धिकरण को प्रोत्साहित करना ताकि परिवहन, शोधन एवं उपयोग के दौरान पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सके।
- उत्खनन से तैयार गड्ढों को भू – गर्भीय जल स्तर में वृद्धि हेतु उपयोग करना।

वन/जैव विविधता

शासन, नैसर्गिक एवं कृत्रिम वनों के संरक्षण एवं व्यापारिक दोहन को समन्वित करने हेतु प्रयासरत रहेगा। वनों के प्रबंधन तथा जैव विविधता को सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार पहल की जावेगी :-

- उपलब्ध पड़त भूमि तथा शासकीय एवं गैर शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना।
- ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों जैसे सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा एवं बायोगैस को प्रोत्साहित करना। धुआं रहित चूल्हों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना तथा जलाऊ लकड़ी के उपयोग में कमी लाना।
- उन्नत तकनीकों जैसे रिमोट सेंसिंग एवं जी. आई .एस. का प्रयोग, योजना निर्माण, अनुश्रवण एवं वन क्षेत्र के मूल्यांकन हेतु करना।
- वन औषधि पौधों के संरक्षण को सुनिश्चित करना।
- एकल प्रजाति रोपण के स्थान पर मिश्रित रोपण को प्रोत्साहित करना।
- संरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय-पर्यटन को प्रोत्साहित करना।
- वन जन्तुओं के रहवास के संरक्षण हेतु विशेष क्षेत्रों

का चयन कर उचित कार्यवाही करना।

- कानून के माध्यम से स्थानीय संकटापन्न एवं लुप्त प्रायः प्रजातियों के संरक्षण पर बल देना।

नगरीय एवं परिवहन निवेश

इस नीति का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में नैसर्गिक सौंदर्य तथा उनके संरक्षण को निम्नानुसार प्रावधानों द्वारा सुनिश्चित करना है –

- नगरीय क्षेत्रों में उचित मात्रा में हरित पट्टी एवं खुला क्षेत्र सुनिश्चित करना।
- सामुहिक यातायात प्रबंध व्यवस्था स्थापित करना ताकि इनके उपयोग से ट्राफिक जाम एवं प्रदूषण का निवारण हो सके।
- हेजार्डस वस्तुओं के परिवहन को पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से नियंत्रित करना।
- उद्योगों से जनित होने वाले विकिरण एवं अपशिष्ट के मानक निर्धारित करना।

३.२ सहयोगी प्रबंधन एवं बाजार आधारित प्रक्रिया का निर्धारण

शासन सहयोगी प्रबंध व्यवस्था स्थापित करेगा, जिससे आर्थिक संगठनों, सामाजिक संगठनों तथा शासन तंत्र के मध्य संयुक्त

क्रियाशीलता में वृद्धि की जा सके। इस हेतु निम्नानुसार प्रावधान किये जायेगें।

- स्थानीय समितियों एवं संगठनों के सशक्तिकरण द्वारा पर्यावरण शर्तों का क्रियान्यवन विकेन्द्रीकृत तरीके से कराना।
- शासन के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय द्वारा किसी भी परियोजना में पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना।
- राज्य शासन के विभिन्न विभागों की नीतियों में पर्यावरण संरक्षण संबंधी एकरूपता सुनिश्चित करना।

बाजार आधारित क्रियान्वयन प्रक्रिया का निर्धारण :-

पर्यावरण संरक्षण हेतु बाजार आधारित, प्रक्रिया निर्धारित की जावेगी, जिसका सिद्धांत प्रदूषक से व्ययन होगा। इसमें निम्नानुसार प्रयास सम्मिलित होंगे।

- किसी भी विषय में निर्णय, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन तथा उसके सामाजिक, आर्थिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुये लिया जायेगा।
- नगरीय निकायों एवं उद्योगों पर उनके द्वारा उपयोग किये जा रहे जलकर अधिरोपित करना ताकि जल का संरक्षण हो एवं प्रदूषण मुक्त जल की व्यवस्था निर्धारित हो सके।

▭ लैण्ड-फिल अधिभार को लगाना।

३.३ सक्रिय जन सहयोग द्वारा क्रियान्वयनः

इस पर्यावरण नीति के क्रियान्वयन की सफलता शासन, व्यापार जगत, उद्योग, श्रमिक संगठन, सामुदायिक संगठन, एवं अशासकीय संगठनों में परस्पर सहयोग द्वारा ही संभव है। इस हेतु शासन निम्नानुसार प्रयास करेगा :-

- समस्त संबंधित समूहों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लायी जायेगी। इसका मुख्य आधार, सूचनाओं का आदान- प्रदान तथा पुरस्कार होगा।
- चर्चाओं एवं परिचर्चाओं, संयुक्त निवेश प्रबंधन द्वारा समस्त विकास परियोजनाओं के पर्यावरण प्रभाव संज्ञान में सहभागी प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे पुर्नचक्रियकरण, पुर्नउपयोग, कम्पोस्टिंग, उर्जा उत्पादन को जन सहयोग द्वारा प्रचारित करना।
- विभिन्न पाठ्यक्रमों में पर्यावरण सहायक सिद्धांतों एवं दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना।
- विभिन्न उत्पादों में इकोलेवलिंग की प्रक्रिया को स्थापित करना ताकि उपभोक्ता को यह संज्ञान हो सके कि उत्पाद पर्यावरण सहायक है अथवा नहीं।

- समस्त सहभागी कार्यक्रमों में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चत करना।

४.० क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण :-

पर्यावरण नीति के कारगर क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन प्रत्येक स्तर पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा।

- प्रत्येक विभाग द्वारा नीति के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना विकसित की जावेगी।
- राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रदूषण नियंत्रण एवं समीक्षा हेतु निर्धारित विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु और सशक्त किया जावेगा।
- वाहनों से निकलने वाले धुयें की समीक्षा हेतु चेकपोरट स्थापित किये जावेंगे।
- उद्योगों से निकलने वाले हेजार्डस अपशिष्ट, प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में जल तथा वायु की गुणवत्ता, म्युनिसिपल मल निस्तारण, की निरंतर जांच की व्यवस्था की जावेगी।
- पर्यावरण प्रबंधन के सभी स्तरों पर स्थानीय समुदाय को जोडा जायेगा।

: उद्देश्य :

- सामाजिक समता पर आधारित निरंतर एवं शास्वत विकास को सुनिश्चित करना।
- पर्यावरण आधारित कार्यक्रमों में वृद्धि करना।
- नागरिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करना।

आवास एवं पर्यावरण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर